वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। मौजा दुगोली ग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने आपे हिस्से का नियमानुसार से दर्ज करवा सकते है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त खसरान का पूर्ण विभाजन नही होने तथा पक्षकारान के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा जाने से ण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 13.01.2022 को प्राथमिक डिक्रि के आदेश पारित गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 13.01.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा ताव जरिये पत्रांक 4061 दिनांक 22.06.2022 प्राप्त हुआ, जिसपर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने थमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की तथा वाद को माफिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल दिनांक 22.06.2022 अन्तिम डिक्री के अनुसार स्वीकार किये जाने में पक्षकारान् की सहमति है। अतः वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 4061 दि.22.06.2022 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भंवरलाल के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली के खसरा नम्बर 675 रकबा 5.0586 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी रामकरण के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली के खसरा नम्बर 1602 रकबा 0.8822 हैक्टेयर में से 0.8433 हैक्टेयर पूर्वी भाग व खसरा नम्बर 1606 रकबा 1.0765 हैक्टेयर में से 0.9956 हैक्टेयर पूर्वी भाग व खसरा नम्बर 1607 रकबा 2.0558 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 1165/1939 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से 1.2519 हैक्टेयर मध्य भाग रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. वादी तुलछीराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली के खसरा नम्बर 1165/1939 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से 3.0179 उत्तरी भाग, खसरा नम्बर 1560 रकबा 0.6556 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 1561 रकबा 1.4731 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. वादी कैलाशराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली के खसरा नम्बर 1603 रकबा 1.7401 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 1604 रकबा 0.2023 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 1605 रकबा 2.8895 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 1602 रकबा 0.8822 हैक्टेयर में से 0.0389 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा,

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

खसरा नम्बर 1606 रकबा 1.0765 हैक्टेयर में से 0.0809 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा एवं खसरा नम्बर 1618 रकबा 1.8535 हैक्टेयर में से 0.1949 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

5. वादी मलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली के खसरा नम्बर 1165/1940 रकबा 7.9480 हैक्टेयर में से 3.9740 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 844 रकबा 3.2456 हैक्टेयर में से 2.2136 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा एवं खसरा नम्बर 1165/1939 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से 0.1680 हैक्टेयर पूर्वी दक्षिणी हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

6. वादी संख्या 6 व 7 चुका देवी एवं कुलदीप के सामलाति हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली के खसरा नम्बर 1165/1940 रकबा 7.9480 हैक्टेयर में से 3.9740 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा, खसरा नम्बर 844 रकबा 3.2456 हैक्टेयर में से 1.0320 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 1165/1939 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से 0.1679 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमि हिस्सा एवं खसरा नम्बर 826 रकबा 1.1817 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।

7. प्रतिवादी प्रहलादराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली के खसरा नम्बर 1165/1939 रकबा 8.0931 हैक्टेयर में से 3.4880 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा एवं खसरा नम्बर 1618 रकबा 1.8535 में से 1.6586 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 22.06.2022 आदेश का भाग रहेगा।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर
एस.डी.ओ.

निर्णय आज दिनांक 28-6-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner